सं.31011/6/2002-स्था. (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांकः 2 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को एल.टी.सी.- आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा परिचालित टूर पैकेज द्वारा यात्रा।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-3-2008 के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.), जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा सड़क के माध्यम से संचालित आई.टी.डी.सी/एस.टी.डी.सी. की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा एल.टी.सी. की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से दौरों की अनुमति प्रदान की जाए तथा यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आई.आर.सी.टी.सी. ऐसे टूर पैकेज की भी पेशकश कर रहा है जिसमें दिल्ली-लेह, दिल्ली-श्रीनगर, जयपुर-गोवा, चेन्नई/कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर आदि जैसे सेक्टरों की हवाई यात्रा शामिल है, वित्त मंत्रालय के परामर्श से हवाई यात्रा के घटकों सहित आई.आर.सी.टी.सी. के एल.टी.सी. पैकेजों को अनुमति देने के प्रश्न के संबंध में जांच की गई।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी को एल.टी.सी. यात्रा के उन मामलों में रेल तथा सड़क किराए के साथ हवाई यात्रा के किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए जो एल.टी.सी. के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा पेशकश किए गए दौरे के तहत हो बशर्ते कि आई.आर.सी.टी.सी. 3 घटकों को अलग-अलग इंगित एवं प्रमाणित करे तथा आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा टिकटों की बुकिंग भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए जैसे बिना पैकेज लाभ के इकोनोमी श्रेणी में एल.टी.सी. 80 योजना के अंतर्गत एयर इण्डिया द्वारा यात्रा आदि दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में की जाती है।

ह०/-
(पी. प्रभाकरन)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कर्मचारी चयन आयोग।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
10. सभी संघ शासित प्रशासन।